न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 26/2014/टीए

शांतिलाल पिता देवा मीणा
निवासी उमरखेडी तहसील व जिला प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. गीताबाई बेवा दौलतराम मीणा–फौत
2. कंचनबाई बेवा हेमराज मीणा
3. कारूलाल पिता हेमराज मीणा
4. दिनेश पिता हेमराज मीणा
5. प्यारा पिता देवा मीणा
6. मूलीबाई बेवा दौलतराम मीणा
   सभी निवासी नंगावली तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
7. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय आदेश उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
दिनांक 09.06.2014 प्रकरण सं. 111/2010

उपस्थित – 1. श्री नरेन्द्र कुमार नाहर – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक– 01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थिया गीताबाई ने एक वाद अन्तर्गत धारा 58,88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थी शांतिलाल व विपक्षी क्रमांक 2 से 7 के विरूद्ध प्रसुत कर बंटवाडा व कब्जे की सहायता बाबत् डिक्री की मांग की गई। उक्त प्रकरण 63/97 मे प्रार्थी शांतिलाल को न्यायालय से मामले की सुनवाई का कोई पत्र नही आया न विधिवत सम्मन की तामील हुई न प्रार्थी ने न्यायालय के किसी भी सूचना पत्र को लेने से मना किया है और न ही विधिक तामीली प्रार्थी पर हुई। न्यायालय बगैर तामिल के ही वादिया गीताबाई ने प्रार्थी के हितो के विपरीत निर्णय व डिक्री अनुसार विवादित खाते व बंटवारा व कब्जा प्राप्त करने की सहायता प्राप्त कर ली व बंटवाडा भी प्रार्थी की सहमति बगैर व मनमाने आधारो पर करवा लिया। प्रारम्भिक डिक्री के समय तो प्रार्थी शांतिलाल को मामले मे पक्षकार ही नही बनाया गया और तथा मामला गीताबाई बनाम कंचनबाई के नाम से ही चला था और बाद मे प्रार्थी के हितो को नुकसान पहूॅचाने की गरज से बाद मे प्रार्थी का

नाम गलत तौर पर बगैर सुन ही जांड दिया गया था। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो के मध्य आपसी बंटवाडा काफी समय पहले ही हो चुका था और बंटवाडा अनुसार पक्षकारान अपने– अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज चल आ रहे थे और आज भी मौके पर पूर्व मे हुये बंटवाडे अनुसार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी के साथ धोखा करते हुए गीताबाई ने प्रार्थी की कृषि हडपने के लिये तामील मिथ्या आधारो पर कार्यवाही कर न्यायालय को भी वास्तविक स्थिति बनाये बगैर यह कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होकर निरस्त योग्य है।

2. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही किये बिना सम्पूर्ण रिकार्ड नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अन्य बिन्दु मुख्यरूप से वही उल्लेख किये गये जो कि अपील मे वर्णित है साथ ही उनके द्वारा आरआरडी 2014 पेज 715, आरआरडी दिसम्बर 2004 पेज 752 तथा आरआरडी 2015 पेज 280 की नजीरे भी आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के सम्बन्ध मे प्रस्तुत की गई।

3. वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही होने से बहस नही जा सकी वे इसमे परफोमा पार्टी है साथ ही वकील श्री छोगालाल द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से अपना अधिकार पत्र विड्रा कर लिया गया है।

4. बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं तथ्यो पर निष्कर्ष निकाले बिना निर्णय पारित किया गया है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ द्वारा प्रकरण संख्या 111/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 09/06/2014 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़